

Regarding need to formulate an employment scheme for urban areas on the lines of MGNREGS-Laid

श्री गणेश सिंह (सतना) : शहरी क्षेत्रों में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन अत्यंत आवश्यक है। मई 2025 में जारी नवीनतम PLFS के अनुसार, भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 17.9% रही है। यह पूर्ववर्ती अवधियों की तुलना में कमी को दर्शाती है, किंतु स्पष्ट करती है कि शहरी युवाओं, विशेषकर असंगठित एवं अकुशल वर्ग के लिए पर्याप्त और सुरक्षित रोजगार अवसर अभी भी सीमित हैं। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना एक उल्लेखनीय पहल है। 18 से 60 वर्ष की आयु के शहरी निवासियों को प्रति वर्ष 100 दिन का गारंटीशुदा, श्रम-आधारित रोजगार प्रदान करती है। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक संपत्तियों का रख-रखाव, निर्माण से जुड़े कन्वर्जेन्स कार्य तथा सेवा-आधारित गतिविधियों शामिल है। यह योजना शहरी गरीबों को न केवल आय का स्रोत उपलब्ध कराती है, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है तथा शहरों के सतत विकास में योगदान देती है। अतः यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार इस मॉडल का अध्ययन कर, मनरेगा की तर्ज पर एक राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना पर विचार करे, जिससे बेरोजगारी को कम कर गरिमामय और संरचित रोजगार सुनिश्चित किया जा सके।